पुस्तिका-15

राजभाषा विभाग के पुरस्कार और योजनाएं से संबंधित
[धारा 4 (1) (ख) (xv)]

संख्या : 12011/01/2017-रा.भा.(का0-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक06फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2016

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं ।

1. केन्द्र सरकार के कार्मिकों(सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

पात्रता/शर्तें :

(i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों।

(ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें । **(प्रपत्र-1)**

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	₹ 30,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

विषय : पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i). इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

(ii). समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि।

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।(**प्रपत्र-2**)

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹ 2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)	-	₹ 10,000 प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को

3. **उपर्युक्त दोनों योजनाओं के लिए सामान्य शर्तें** :

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपरविषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2016 से 31.12.2016 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । विभागीय मैनुअल, पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है । सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।

(viii) पुस्तक कम से कम 150 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

4. **प्रविष्टि भेजने की विधि** :

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सं. 11014/03/2017-राभा (प)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन डी सी सी भवन-II, चौथा तल, बी विंग
नई दिल्ली- 110001
दिनांक: 17 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2016-17 (वित्तीय वर्ष) में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए समय - समय पर हिंदी गृह-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं| इन पत्रिकाओं के कलेवर, साज-सज्जा और लेखों की शैली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

2 विभाग संकल्प सं. 11034/48/2014-रा.भा. (नीति), दिनांक 25 मार्च, 2015, के अनुपालन में हिंदी पत्रिकाओं को स्तरीय बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक भाषाई क्षेत्र यथा 'क', 'ख' तथा 'ग' में इस योजना में दो-दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे |

3 पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण- पत्र प्रदान किए जाएंगे | इस योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार देय नहीं हैं|

4 <u>इस पुरस्कार योजना के पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत हैं</u> :-

(क) पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ होने चाहिए |

(ख) हिंदी में पृष्ठों की संख्या कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या का कम-से-कम 80% होना चाहिए |

(ग) पत्रिका के 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित होने चाहिए |

5. <u>मूल्यांकन पद्धति के मानक</u>

इस वर्ष पत्रिका के मूल्यांकन के लिए अधिकतम 130 अंक रखे गये हैं। इन अंकों का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं	मद	अंक
1	पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता	20
2	सरकारी कामकाज में उपयोगिता	30
3	भाषा, शैली एवं प्रस्तुतिकरण	20
4	विन्यास, साज-सज्जा, कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण-स्तर	20
5	आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात	10
6	छपे लेखों की मौलिकता	30
	कुल अंक	130

6. ऐसे समस्त मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सरकारी क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय, जो इस पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र देने के इच्छुक हैं तथा पैरा 04 में उल्लिखित आर्हता की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं, दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 के बीच की अवधि में प्रकाशित गृह पत्रिका के <u>श्रेष्ठ दो अंकों की 5-5 प्रतियां दिनांक 31.05.2017 (सायं 5 बजे)</u> तक इस विभाग को भेजें | प्रविष्टियाँ भेजते समय इस ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक) में वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में भर कर भेजने की कृपा करें |

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)
011-23438250

सेवा में

1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय/बैंक व वित्तीय संस्थाएं को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें। यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को प्रभावी प्रसार के लिए अपने-अपने वेबसाईट पर अपलोड करें |

2 समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यान्वयन)/प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग को इस निर्देश सहित की वे अपने दायित्व के क्षेत्र में पात्र संगठनों के मुख्यालयों में इस योजना का तात्कालिक व प्रभावी प्रसार करें |

अनुलग्नक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालयों द्वारा वर्ष 2016-17 (वित्तीय वर्ष) में प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना से संबंधित प्रपत्र ।

1. मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्था का नाम...
2. नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम (जिससे अतिरिक्त सूचनार्थ किसी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट कराने हेतु संपर्क किया जा सके)..
3. मुख्यालय का पूरा डाक पता (पिन सहित)..
4. नोडल अधिकारी का ई-मेल आईडी ....
5. नोडल अधिकारी का दूरभाष ....
6. नोडल अधिकारी का मोबाइल सं...
7. नोडल अधिकारी का फैक्स सं...
8. भाषाई क्षेत्र की श्रेणी (क, ख तथा ग) ....
9. गृह पत्रिका का नाम : ....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....(संगठन का नाम) द्वारा प्रकाशित .... (गृह पत्रिका का नाम) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह पत्रिका योजना, 2016-17 में भाग लेने के लिए निर्धारित पात्रता मापदण्डों के अनुरूप है ।

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम.............................
(पूरा नाम साफ शब्दों में लिखें)
पदनाम ....
मोहर

स्थान ....
तारीख ....

सं 11014/02/2017-राभा (प)
गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग
(पत्रिका एकक)
***

एन डी सी सी - || भवन, चौथा तल, बी विंग'
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक: 16 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

केंद्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है | इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं हैं | विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं | राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015, के संकल्प सं. 11034/48/2014 रा.भा. (नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

2 **योजना का उद्देश्य**

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। केंद्र सरकार के कार्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें।

3 **<u>राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में भाग लेने हेतु पात्रता :</u>**

(क) केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक।

(ख) उक्त लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) में प्रकाशित होने चाहिए।

(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो।

4. <u>नियम व शर्तें</u> :

(क) इस पुरस्कार योजना में एक लेखक के अधिकतम दो लेख ही शामिल किए जायेंगे। किसी लेखक के दो से अधिक लेख प्राप्त होने की स्थिति में विभाग को प्राप्त होने वाले प्रथम दो लेखों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य लेख स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे।

(ख) लेख की फोटोकोपी के साथ मूल पत्रिका का होना अनिवार्य है अन्यथा लेख, पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(ग) लेख के साथ लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र लेखक द्वारा देना आवश्यक होगा।

(घ) सेवानिवृत कार्मिक के संदर्भ मे सेवानिवृति प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात लगाना अनिवार्य है।

5. <u>पुरस्कार</u>

विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ-साथ स्मृति चिहन एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जायेंगे ।

<u>हिंदी भाषी</u>

प्रथम पुरस्कार	-	20,000/-रू.
द्वितीय पुरस्कार	-	18,000/- रू.
तृतीय पुरस्कार	-	15,000/- रू.

<u>हिंदीतर भाषी</u>

प्रथम पुरस्कार	-	25,000/- रू.
द्वितीय पुरस्कार	-	22,000/- रू.
तृतीय पुरस्कार	-	20,000/- रू.

6. **मूल्यांकन प्रक्रिया**

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर दो लेखों का चयन करेगा | मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को **अनुलग्नक 'क'** में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे | राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखों को लेख मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

7. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख संबन्धित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा कर दिया जाएगा।

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में छपे लेखों में से, पैरा 6 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख, 15 मई 2017 तक राजभाषा विभाग को सील बंद लिफाफे जिसपर "**उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2016-17** " लिखा हो, प्राप्त हो जाने चाहिए।

9. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक रूप में परिचालित करें |

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय की जानकारी तथा आवश्यक कारवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली

5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
10.भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
11.नीति आयोग, नई दिल्ली
12.निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
13.निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
14.संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
15.केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
16.अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34 कोटला रोड, नई दिल्ली
17.राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक
18.राजभाषा विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।

उत्कृष्ट लेखों के लिये राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2016-17

चेक लिस्ट

क्र सं	सम्मिलित कागजात की सूची	हाँ	नहीं
1	कैंद्र सरकार के कार्यरत		
2	सेवानिवृत्त कार्मिक		
3	सेवानिवृत्त कार्मिक के संदर्भ मे सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात		
4	लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017) में प्रकाशित		
5	पूर्ण रूप से भरा हुआ अनुलग्नक 'क'		
6	हिंदी भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में हो, से संबंधित प्रमाण पत्र		
7	हिंदीतर भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो, से संबन्धित प्रमाण पत्र ।		
8	पुरस्कार योजना में भेजे जानेवाले लेख प्रकाशित लेख (अधिकतम दो) की फोटोकोपी		
9	मूल पत्रिका जिसमे लेख प्रकाशित हुए है		
10	लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र		

हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम